भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 4

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 जुलाई, 2015 को दिया गया)

<u>पुन: बिक्री मूल्य व्यवस्था के विरूद्ध शिकायतें</u>

***4. डा. चंदन मित्रा :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) को विनिर्माताओं और वितरकों/खुदरा व्यापारियों के बीच पुन: बिक्री व्यवस्था विद्यमान होने के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस मामले में क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>पुन: बिक्री मूल्य व्यवस्था के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में दिनांक 21.07.2015 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-4 में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19(1)(क) के तहत प्रतिस्पर्धी-रोधी पुन: बिक्री मूल्य करारों (रि-सेल प्राइस एग्रीमेंट) से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के तथाकथित उल्लंघन के संबंध में चार मामले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्राप्त होने की सूचना है। इसका विवरण इस प्रकार है :-

(i) केस संख्या 68/2013 (घनश्याम दास विज द्वारा मैसर्स बजाज कारपारेशन लिमिटेड एंड अदर्स के विरूद्ध)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक (डी.जी., सीसीआई) ने इस मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो आयोग के विचाराधीन है।

(ii) केस संख्या 36/2014 (मैसर्स एफ एक्स इंटरप्राइज सोल्यूशंस इंडिया प्रा.लि. द्वारा मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लि. के विरूद्ध) इस मामले की डी जी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(iii) केस संख्या 61/2014 [मैसर्स जेस्पर इंफोटेक प्रा.लि. (स्नैपडील) द्वारा मैसर्स काफ एपलाइंस (इंडिया) प्रा.लि. के विरूद्ध] महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

(iv) केस संख्या 09/2015 (मैसर्स शुभम सेनिटरीवेयर्स द्वारा एच एस आई एल लिमिटेड के विरूद्ध) यह मामला प्रथमदृष्टया समीक्षा के लिए आयोग के विचाराधीन है।

(ग): प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है।

सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के तहत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया है तथा इस उद्देश्य से, जिला, राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ता विवादों का सरल एवं त्वरित समाधान हो सके। इन अर्ध-न्यायिक निकायों को विशिष्ट प्रकृति की राहत देने एवं जहां कहीं उचित हो उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति संबंधी निर्णय देने की शक्ति प्रदान की गई है।

*****